टी0ए0 मिस केस सं0 301/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19-12-2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री रंजीत सुलंकी, पिता–उपेन्द्र नाथ सुलंकी, ग्राम–दुम्बीसाई, थाना–मुफफसिल, जिला–पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा–**नगरपालिका सदर चाईबासा(दुम्बीसाई), वार्ड नं०–05,** थाना नं0– **644,** खाता न0– **168,** प्लॉट न0– **234,** रकवा– **8डी० 75 वर्गकड़ी** भूमि वर्तमान में झारखण्ड सरकार नगर विकास के अधिसूचना सं0 3034 दिनांक 03.09.2011 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र से अलग कर इसे मौजा दूम्बीसाई थाना न0 643 ग्रामिण क्षेत्र में कर दिया गया हैं। क्रेता **श्री सोनाराम हेम्ब्रम, पिता–गुरा हेम्ब्रम, ग्राम–तिरिलबुटा,** थाना–मुफफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम से उत्तराधिकारी नां० वाद सं०– 289/2019–20 द्वारा नामांतरण स्वीकृत है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1226**, दिनांक **7.12.2020** के द्वारा प्राप्त है। ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **सोनाराम हेम्ब्रम, पिता–गुरा हेम्ब्रम, ग्राम–तिरिलबुटा,** थाना– **मुफफसिल** चाईबासा के पास **13,30,200.00/–(तेरह लाख तीस हजार दो सौ) रुपये मात्र** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि **2.00** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री रंजीत सुलंकी, पिता–उपेन्द्र नाथ सुलंकी, ग्राम–दुम्बीसाई,** थाना–**मुफफसिल** जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा–**नगरपालिका सदर चाईबासा(दुम्बीसाई), वार्ड नं०–05,** थाना नं0– **644,** खाता न0– **168,** प्लॉट न0– **234,** रकवा– **8डी० 75 वर्गकड़ी** भूमि को क्रेता **सोनाराम हेम्ब्रम, पिता–गुरा हेम्ब्रम, ग्राम–तिरिलबुटा,** थाना–**मुफफसिल** चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 19/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 19/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Anjalinayak

Scanned with CamScanner